भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1192
दिनांक 30 जुलाई, 2024 / 8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

शहरी बाढ़ प्रबंधन गृह योजना

†1192. श्री ए. राजाः
श्री ए. राजाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चेन्नई उपनगरीय बाढ़ – प्रवण क्षेत्रों के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना हेतु कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की कोई उप-समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी बैठकें हुई थीं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 15वीं वित्त आयोग की परिकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से तीन महानगरों अर्थात. मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए चार शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में से प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि की भी सिफारिश की। एनडीएमएफ से आवंटन लागत-साझाकरण के आधार पर है, जिसमें राज्य अपने संसाधनों से 10 प्रतिशत धनराशि का योगदान करते हैं। केंद्र सरकार ने चेन्नई शहर में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 561.29 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 500 करोड़ रुपये शामिल हैं।

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1192, दिनांक 30.07.2024</u>

एनडीएमएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित अनुमोदन तंत्र के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप समिति ने दिनांक 09.08.2023 को आयोजित अपनी बैठक में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की मंजूरी के लिए चेन्नई शहर के प्रस्ताव पर विचार किया और सिफारिश की। एचएलसी ने दिनांक 23.11.2023 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

एचएलसी ने दिनांक 25.07.2024 को आयोजित अपनी बैठक में 2514.37 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ छह (06) शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे के प्रस्तावों को मंजूरी दी है ।

*****